



2026:AHC:32987

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट-सी संख्या-5899/2026

चंद्र किरण और अन्य

.....याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 13 अन्य

.....प्रतिवादी

याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता: अंकित कुमार, श्रवण कुमार पांडे

प्रतिवादी के अधिवक्ता: अरुण कुमार पांडे, मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या- 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया,

1. यह तर्क दिया जाता है कि याचिकाकर्ताओं द्वारा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 129 के अंतर्गत आवेदन प्रतिवादी संख्या 3, उप-विभागीय मजिस्ट्रेट, तहसील और जिला संभल के समक्ष प्रस्तुत किया गया था, किन्तु प्रतिवादी संख्या 3 के कार्यालय ने उक्त आवेदन को स्वीकार करने से इनकार कर दिया, इसलिए यह रिट याचिका दायर की गई है।
2. दूसरी ओर, राज्य-प्रतिवादियों की ओर से उपस्थित विद्वान स्थायी अधिवक्ता ने तर्क दिया कि इस मामले में सक्षम प्राधिकारी प्रतिवादी संख्या 3, अर्थात् उप-विभागीय मजिस्ट्रेट, तहसील एवं जिला संभल है और वे इस मामले में शीघ्र निर्णय लेंगे।
3. इस स्थिति को देखते हुए और न्यायालय के हित में भी, याचिकाकर्ता को उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 के धारा 129 के अंतर्गत प्रतिवादी संख्या 3, अर्थात् उप-विभागीय मजिस्ट्रेट, तहसील एवं जिला-संभल के समक्ष आवेदन करने की अनुमति दी जाती है। यदि याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रतिवादी संख्या 3 के समक्ष आज से तीन सप्ताह की अवधि के भीतर ऐसा आवेदन दाखिल किया जाता है तो वे उसके बाद तीन महीने की अवधि के भीतर विधि के अनुसार आवश्यक निर्णय लेंगे।
4. उपरोक्त टिप्पणियों के साथ, रिट याचिका का अंतिम निस्तारण किया जाता है।

(प्रकाश पाडिया, न्यायमूर्ति)

13 फरवरी, 2026

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”